कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–76, 77 एवं 78 एवं 79/ 2018 द्वारा श्री अशोक पासवान एवं अन्य बनाम पंचायत रोजगार सेवक, मधुबनी घाट, कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी।

वाद का वर्णन

परिवादीगण श्री अशोक पासवान, पिता–श्री अशर्फी पासवान, श्री गब्बर पासवान, पिता–श्री कपलधारी पासवान, श्री जंगबहादुर पासवान, पिता–श्री पाचु पासवान और श्री शंभु पासवान, पिता–श्री जगदीश पासवान, ग्राम पंचायत राज–मधुबनी घाट, प्रखंड–मोतिहारी द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में वृक्षारोपण वर्ष 2013 में कार्य किया है, जिसका मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। मजदूरी दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/सुनवाई

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पंचायत रोजगार सेवक, मधुबनी घाट एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी को नोटिस जारी किया गया। पंचायत रोजगार सेवक, मधुबनी घाट और द्वारा जवाब दिया गया है जो निम्न प्रकार है :–

वाद सं0	परिवादी का नाम	जॉबकार्ड सं0	DP	कार्य दिवस	मजदूरी दर	लंबित मजदूरी
76	श्री अशोक पासवान	667	6766	37	144	5328.00
77	श्री गब्बर पासवान	664	6766	37	144	5328.00
78	श्री जंगबहादुर पासवान	334	6766	37	144	5328.00
79	श्री शंभु पासवान	1150	6765	71	144	10224.00

विचारणीय बिन्दु

(1) क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया है ?

(2) क्या परिवादीगण को मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

निष्कर्ष / निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक, मधुबनी घाट द्वारा समर्पित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि परिवादीगण द्वारा मनरेगा वृक्षारोपण योजना में काम किया गया है लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी अधिनियम की अनुसूची II में पारा–29 के अनुसार मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाय।

आदेश

1. कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया को आदेश दिया जाता है कि परिवादीगण का बकाया मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति राशि के साथ यथाशीध्र किया जाय।
2. क्षतिपूर्ति की वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मियों से किया जाय।

ह०

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 58 / दिनांक– 22.09.18

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी / पंचायत रोजगार सेवक, मधुबनी घाट एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/9/18
लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।